अध्याय-6

लोकतांत्रिक अधिकार

परिचय

लोकतंत्र में आम जनता की सत्ता में साझेदारी होती है। यह साझेदारी व्यक्ति के अधिकारों के माध्यम से सम्भव हो पाती है (जैसे कि नागरिकों के मतदान का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति के अधिकार, सूचना पाने का अधिकार।) इसलिए व्यक्ति के अधिकार न सिर्फ लोकतंत्र की स्थापना की अनिवार्य पूर्व शर्त है; वरन् लोकतांत्रिक राजनीति की सहगामी है जिसकी उपस्थिति लोकतांत्रिक शासन के वास्तविक स्वरूप को निरन्तर प्रकट करने में होती है।

अधिकारों का महत्व

अधिकारों का महत्व जानने के लिए अध्याय की शुरूआत वैसी घटनाओं से करते हैं जिसमें व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है। इनसे उपजी तकलीफ एवं त्रासदी स्वभावत: हमारे मन मस्तिष्क को यह अहसास कराता है कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता है। यह हमें यह भी जानने के लिए उकसाता है कि वास्तव में अधिकारों का मतलब क्या होता है? हमें इनकी जरूरत क्यों है? इनको संविधान में दर्ज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इस दिशा में पहला कदम उठाने वाला देश कौन सा था? हमारे संविधान में स्थान पाने के लिए अधिकारों को कितना संघर्ष करना पड़ा; आजादी के बाद भारत के संविधान में नागरिकों को कौन-कौन से अधिकार दिए गये हैं? हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि आम आदमी इन अधिकारों को कैसे हासिल कर सकता है?

अगर इन अधिकारों को कोई छीनता है तो उसकी रक्षा कौन करेगा और इनको लागू कौन करेगा।

आखिर में हम यह देखेंगे कि लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत क्यों होती है? लोकतंत्र को बनाये रखने में, लोकतंत्र को चलाने में, बढ़ाने में अधिकारों की कैसी भूमिका होती है? आज दुनिया के अधिकांश देश लोकतांत्रिक कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। क्या लोकतंत्र के विकास और विस्तार ने अधिकारों का भी विस्तार किया है? हाल के वर्षों में हमारे देश, दुनिया के अन्य देशों या संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके लिए क्या किया है?

६.१ अधिकारों के बिना जीवन

हम आए दिन ऐसी खबरें पढ़ते रहते हैं जिनमें निर्दोष व्यक्ति पुलिस गुंडों बाहुबलियों और सत्ताधारियों के अत्याचार के शिकार होते हैं। ऐसे कैदियों की खबरें होती हैं जिनपर मुकदमा चलाने में इतने वर्ष लग जाते हैं कि बिना आरोप सिद्ध हुए उनके जीवन का अधिकांश हिस्सा जेलों में बीत जाता है। जेलों में कैदियों, बच्चों, औरतों के साथ अमानवीय व्यवहार होता है। भागलपुर की जेल में कैदियों की आँखें फोड़ दी गयी थी। अमेरिकी फौजों ने इराक में लोकतंत्र की बहाली के नाम पर अनेक अत्याचार किए। 11 सितम्बर 2001 के बाद आतंकवाद के विरोध के नाम पर अमेरिका निर्दोषों को भी निशाना बनाता रहा। म्यामांर में देश की सरकार ने आंग-सान-सू-ची को वर्षों तक उनके ही घर में नजरबन्द रखा। इराक में, युगोस्लाविया में, भारत में तथा विश्व के कई देशों में जातीय नरसंहार के नाम पर आम लोगों को भीषण कष्ट झेलने पड़े।

एसी खबरों को पढ़कर या जानकर आपके मन में क्या बात आती है? निश्चित तौर पर हम ऐसी घटनाओं को नहीं होने देना चाहेंगे और ऐसी व्यवस्था चाहेंगे जिसमें हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होगी, जिसमें सभी के लिए सम्मान, प्रतिष्ठा और समान अवसर हों।

© RSTRPC WEB COPY NOT TO BE PUBLISHED

दूसरे शब्दों में मनुष्य अच्छा जीवन जीना चाहता है। इसके लिए उसे कुछ विशेष सुविधाओं की जरूरत होती है व्यक्ति इन सुविधाओं को मांग या दावे के रूप में रखता है। चूँकि समाज के सभी लोगों को ये सुविधाएँ चाहिए इसलिए ये दावे तार्किक एवं विवेकपूर्ण होने चाहिए। इन दावों को सब पर समान रूप से लागू किया जानेवाला होना चाहिए। तभी उसे सामाजिक स्वीकृति मिलती है। समाज सिर्फ ऐसी ही मांगों को स्वीकारता है जो आवश्यक है और जिसमें सार्वजनिक कल्याण की भावना-निहित होती है। जब इन दावों को राज्य भी मान लेता है अपने कानून के द्वारा उसे लागू कर देता है, तब इसे अधिकार कहते हैं।

इस तरह अधिकार लोगों के वे तार्किक दावे है जिसे समाज से स्वीकृति एवं अदालतों द्वारा मान्यता मिलती है।

खुद करें और खुद सीखें

- अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता है, इसके लिए आप स्वयं भी अखबारों, पत्रिकाओं से ऐसी घटनाओं की जानकारी इकट्ठी कर सकते हें जैसे
- पुलिस हिरासत में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें
- साम्प्रदायिक दंगों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें
- महिलाओं के साथ गैरबराबरी करने वाले व्यवहार की खबरें

६.२ लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत

इस अध्याय की शुरूआत में ही हमने देखा है कि लोकतंत्र मे आम जनता की सत्ता में साझेदारी होती है। इस साझेदारी के भी दो तरीके है पहला नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में सीधे भाग लें लेकिन जब लाखों करोड़ों लोगों को भाग लेनी होती इस तरह का लोकतंत्र अव्यवहारिक एवं असम्भव हो जाता है, इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाती है जिसमें नागरिकों द्वारा

चुने हुए कुछ प्रतिनिधि उनकी तरफ से शासन चलाएँ, फैसलें लें। हम पिछलें अध्याय में पढ़ चुके हैं कि इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव कहते हें और इन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए नागरिकों को जिस अधिकार की जरूरत होती है, उसे मताधिकार कहते हैं। इस प्रकार प्रतिनिधियात्मक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की पहली शर्त अधिकारों की मोजूदगी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देकर प्रतिनिधि चुनने का और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि बनने का अधिकार होता है।

यह प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली लोगों की इच्छाओं और आवश्यकताओं को सही और वास्तविक रूप में लगातार अभिव्यक्त करता रहे इसके लिए आवश्यक है कि सरकार का गठन नियमित अन्तराल पर निष्पक्ष लोकतांत्रिक चुनावों के द्वारा हो। इसके लिए जरूरी है कि लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने का, राजनैतिक पार्टी बनाने का राजनैतिक गतिविधियां की आजादी हो।

सही ढ़ंग से चुनी हुई सरकार निरंकुश न हो जाएँ, उनका लोकतांत्रिक स्वरूप बना रहें इसके लिए इन्हें अपने काम में कुछ सीमाओं का ध्यान रखना पड़ता है। सरकार को शक्तियाँ व्यक्ति के अधिकार इन सीमा रेखाओं का निर्धारण कर सरकार को अपने लोकतांत्रिक स्वरूप को बनाए रखने में मदद करती है, सरकार सही से काम कर रही है, उसके लिए जरूरी है कि उसका सतत् मूल्यांकन हो। यह तभी सम्भव है जब व्यक्ति को बोलने की आजादी हो। सरकार के कामों की जानकारी का अधिकार हो। सरकार की आलोचना का अधिकार हो।

लोकतंत्र की कार्यपद्धति ऐसी होती है जिसमें बहुसंख्यक हमेशा मजबूत स्थिति में होते हैं अतः लोकतंत्र में बहुसंख्यकों की मनमानी की सम्भावना हमेशा बरकरार रहती है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा की गारंटी लेते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते है कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी न करे।

© BSTBPC WEB COPY NOT TO BE PUBLISHED

अधिकारों को संविधान में लिखने की क्या जरूरत है

कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने नागरिकों के अधिकार की रक्षा नही करती है या इससे भी बढ़कर वह स्वयं नागरिकों के अधिकार पर हमला करती है। इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊँचा दर्जा दिए जाने की जरूरत होती है ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन नहीं कर सके, अधिकारों को लागू-कराया जा सके। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के अधिकार को लिखने की जरूरत होती है।

आइए अब हम देखें कि विश्व के बहुत सारे देशों के संविधान में अधिकारों की जो सूची बनी उसने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की।

विश्व के सन्दर्भ में

विश्व के परिप्रेक्ष्य में मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम प्रयोग 1789 में फ्रांसीसी क्रान्ति के समय किया गया। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने मानव अधिकारों की घोषणा करते हुए संविधान में नागरिकों के कुछ मूल अधिकारों को शामिल किया। मानव अधिकारों की घोषणा ने विश्व के बहुत सारे संविधानों को प्रभावित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संविधान लागू होने के दो वर्ष के अन्दर दस संशोधनों के द्वारा मूल अधिकारों को संविधान का अंग बनाया। Pl. also refer to un declaration of Universal Human Rights in 1948 आज लगभग सभी देशों के संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है यहाँ तक कि रूस और चीन जैसे सर्वाधिकारवादी संविधान में भी नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है।

भारत के सन्दर्भ में

भारत में सबसे पहले बालगंगाधर तिलक ने मौलिक अधिकारों का सवाल उठाया। स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान अनेक बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों की मांग की। 1918 के बम्बई अधिवेशन, 1933 के कराची अधिवेशन में नेहरू समिति ने 1928 में तथा सप्रुसमिति ने 1945 में मौलिक अधिकारों का

मामला जोर शोर से उठाया लेकिन भारतीयों को मौलिक अधिकार नही दिए गए। अत: यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान के अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने पर सबकी राय एक थी। संविधान के मूल ढाँचे के उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गयी।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता-एवं न्याय दिलाने का वायदा करता है तथा मौलिक अधिकार इन्हीं वायदों को पूरा करने का प्रयास है।

मौलिक अधिकार अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए। वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके।

भारतीय संविधान में अधिकार

मौलिक अधिकारों से तात्पर्य-मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहाँ साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने के और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है; वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी एवं उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरूद्ध कार्य नहीं कर सकता।

हमारे संविधान में निम्नलिखित अधिकारों का प्रावधान किया गया है।

समता का अधिकार (अनुच्छेद १४-१८ तक)

हमारे आसपास बहुत सारी बाते होती रहती है जो हमें यह सोचने पर विवश कर देती है कि मानव समाज में ये स्थितियाँ उपस्थित रहने योग्य है या नहीं।

© BSTBPC WEB COPY NOT TO BE PUBLISHED

- एक खेत में महिला एवं पुरूष दोनों काम करते रहे हैं। दिन की समाप्ति के बाद पुरूष को पचास रूपये दिए जाते हें जबकि उसी काम के लिए महिला को पच्चीस रूपये दिए जाते हैं।
- किसी सार्वजनिक स्थल में दलितों को या किसी धर्म विशेष के लोगों के प्रवेश की मनाही होती है।
- किसी-विद्यालय में किसी-जाति या वर्ण विशेष के छात्र के बैठने या पानी पीने की अलग व्यवस्था होती है।

ये सभी भेदभाव के स्पष्ट उदारहण है। एक में लिंग तथा अन्य में जाति के आधार पर भेदभाव किया गया है। क्या आपकी राय में ऐसा भेदभाव उचित है?

समता का अधिकार इसी तरह के भेदभाव को मिटाने का प्रयास करता है। यह सार्वजनिक स्थलों - जैसे दुकान होटल, मनोरंजनगृह, कुआँ, स्नान-घाट ओर पूजास्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश देता है। जाति नस्ल, रंग, लिंग, धर्म, या जन्म स्थान के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं कर सकता।

उपर्युक्त आधारों पर लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव नहीं हो सकता। सरकार में किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामलें में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है।

इसी अधिकार के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, राज्य किसी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।

पुनः संविधान के द्वारा सामाजिक व्यवहार में अस्पृश्यता को निवारित किया गया तथा अस्पृश्यता पर आधारित व्यवहार को दंडनीय अपराध घोषित किया गया।

इस प्रकार समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। इसके अनुसार सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। किसी भी व्यक्ति का दर्जा; पद, चाहे जो भी हो सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। इसे ही विधि का शासन भी कहते हैं।

क्या आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? आप पाएगें कि प्रस्तावना में समानता के बारे में दो बातों का उल्लेख है; प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अवसर की समानता का अर्थ है समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएँ व्याप्त हों, तो समान अवसर का क्या मतलब हो सकता है। संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं तथा सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएँ व निर्णय लागू कर सकती है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। अनेक सरकारें विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री-गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देती हैं। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है। पर असल में ऐसा नहीं है। कई बार अवसर की समानता निश्चित करने के लिए कुछ लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी होता है। आरक्षण यही करता है। इस बात को साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट रूप से कहता कि इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है।

कहाँ पहुँचे? क्या समझे?

किसी सार्वजनिक स्थल का मुआइना कीजिए। क्या वहाँ वृद्धों, विकलांगों के लिए अलग से विशेष व्यवस्था है? क्या यह व्यवस्था समानता के अधिकार का उल्लंघन है? उदाहरण के लिए रेलवे के टिकट आरक्षण काउंटर पर 60 साल की उम्र से अधिक लोगों के लिए अलग व्यवस्था होती है।

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद १९-२२)

क्या आप ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जब आपको अपनी इच्छानुसार कोई काम करने की आजादी न हो। निश्चित तौर पर आप ऐसी स्थिति में रहना पसंद नहीं करेंगे। किसी भी लोकतांत्रिक समाज की पहली जरूरत आजादी होती है लेकिन आजादी का मतलब यह नहीं होता है कि हम अपनी मनमानी करे। अगर ऐसा होगा तो बहुत सारे लोग आजादी के आनन्द से वंचित हो जाएँगे। अतः स्वतंत्रता वैसी छूट है जिसमें व्यक्ति किसी अन्य की स्वतंत्रता, सामाजिक एवं कानूनी व्यवस्था को बिना ठेस पहुँचाए अपनी आजादी का आनन्द ले सके।

भारतीय संविधान अपने नागरिकों को कितने तरह की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, एक एक करके देखें:-

भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता - अभिव्यक्ति की आजादी में बोलकर, लिखकर, मुद्रण, प्रकाशन द्वारा या कला के विभिन्न रूपों में अपने विचारों को व्यक्त करना शामिल है। इनके बिना हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है।

भाषण देते हुए नेता

पर आप इस स्वतंत्रता का उपयोग किसी का निरादर, अपमानजनक शब्द, झूठा-अभियोग लगाने में, न्यायालय-का अपमान करने में, किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा-भड़काने में, अपराध के लिए उत्तेजित करने में, शालीनता एवं सार्वजनिक-व्यवस्था के विरूद्ध एवं सरकार के खिलाफ बगावत के लिए

उकसाने में नहीं कर सकते हैं। सरकार इस आधार पर न्याय संगत प्रतिबन्ध लगा सकती हैं। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं की गयी है। 1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल के किसी कारण सदन की कार्यवाही की सच्ची रिपोर्ट प्रकाशित करने के कारण किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती। किन्तु प्रकाशन बुरी भावना से किया गया है तो सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है। वे यह सब किसी समस्या पर चर्चा करने विचारों का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने या किसी चुनाव के किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हें। पर ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इससे सार्वजनिक अव्यवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। इन बैठकों और गतिविधयों में भाग लेनवालों को अपने पास हथियार नहीं रखना चाहिए।

जुलूस का फोटो

नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता हैं जैसे किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं। किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं ।

किसी भी नागरिकों देश के किसी भी हिस्से में जाने, रहने, बसने की स्वतंत्रता है।

पेशा चुनने के मामलें में भी ऐसी ही स्वतंत्रता प्राप्त है।

धार्मिक स्वतंत्रता

अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे कि दुनियाँ के अनेक देशों के शासकों और राजाओं ने अपने-अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया। शासकों से अलग धर्म माननेवाले को या तो मार डाला गया या विवश किया गया कि वे शासकों द्वारा मान्य धर्म को स्वीकार कर ले। अतः लोकतंत्र में अपनी इच्छानुसार धर्म पालन की स्वतंत्रता को हमेशा-बुनियादी सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया।

आप अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं हैं। धर्म व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वस्तु बना दी गयी है। संविधान के अन्तर्गत भारत में नागरिकों को किसी भी धर्म को ग्रहण करने उसका प्रचार प्रसार करने तथा उसके लिए अन्य कार्य करने का अधिकार दिया गया है। विभिन्न धर्मावलम्बियों को अपने धर्म का प्रचार-प्रसार के लिए भाषण देने, सभा करने, पुस्तकें प्रकाशित करने, संस्थाओं की स्थापना करने तथा शिक्षण संस्थान चलाने का भी अधिकार है। उदाहरण के लिए सिक्खों को उनकी धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण धारण करने का अधिकार प्राप्त है। धर्म सम्बन्धी यह अधिकार पूर्ण ही है भारत में अनेक धर्म के मानने वाले लोग हैं। इनमें धर्म प्रचार के ढ़ंग से आपस में मतभेद हो जाने की सम्भावना है। फलस्वरूप राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह सार्वजनिक व्यवस्था, तथा सदाचार को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को नियमित तथा नियंत्रित कर सकता है। अगर किसी धर्म के अनुयायियों के धर्म प्रचार के ढंग से राज्य के अन्दर अमन चैन में खलल पहुँच सकती है अथवा कोई अनैतिक कार्य होता है तो राज्य उसे नियंत्रित तथा स्थगित कर सकता है।

धर्म-प्रचार - धर्म के अनुयायियों को स्कूल, कॉलेज, पाठशाला तथा मदरसा खोलने की स्वतंत्रता है। दूसरी शिक्षण संस्थाओं की तरह इन्हें भी राज्य

द्वारा आर्थिक सहायता मिलेगी। किन्तु राज्य द्वारा संचालित तथा नियमित शिक्षण संस्थाओं में धर्म सम्बंधी शिक्षा नहीं दी जाएगी और न विभिन्न धर्मावलम्बियों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं में किसी शिक्षार्थी को उसकी इच्छा के विरूद्ध किसी धर्म को मानने के लिए बाध्य किया जाएगा।

धार्मिक संस्थाओं को सम्पत्ति रखने का भी अधिकार है किन्तु उसकी सम्पत्ति को भी राज्य वैसे ही नियमित और नियंत्रित कर सकता है जिस तरह अन्य साधारण नागरिकों की सम्पति को नियमित तथा नियंत्रित किया जाता है।

राज्य किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए तथा किसी विशेष धर्म की सहायता के लिए राजकोष से न तो किसी तरह की आर्थिक सहायता दे सकता है और न वह नागरिकों से उक्त प्रयोजनो के लिए किसी तरह का कर वसूल कर सकता है।

खुद करें, खुद सीखें

1. अपने गाँव शहर में होनेवाली आर्थिक गतिविधियाँ तथा विभिन्न धर्मावलम्बियों द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थाओं की सूची बनाएँ।

2. वैसी घटनाओं की अखबारी कतरने जमा करें जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता पर आघात किया गया हो और इसके विरूद्ध आवाज उठायी गयी हो तथा मुकदमा हुआ हो।

सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार

विविधता में एकता हमारे देश के राष्ट्रीय चरित्र की प्रमुख विशेषता है। भारतवर्ष में भाँति-भाँति के लोग रहते हैं तथा उनकी अपनी भाषा-लिपि तथा संस्कृति है। संविधान की इन धाराओं के माध्यम से भारत में रहनेवाले हर प्रकार

© BSTBPC WEB COPY NOT TO BE PUBLISHED

के लोगों को अपनी अपनी लिपि, भाषा, तथा संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए उन्हें स्कूल, पाठशालाएँ, कॉलेज, संग्रहालय खोलने तथा संचालित करने का अधिकार है।

विभिन्न धर्मों पर आधारित वर्गों, तथा अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर नामांकन लेने से नहीं रोका जा सकता।

सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है।

जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा

संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं सुनाती, उसे जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका यह भी मतलब है कि कानूनी आधार होने पर सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है।

किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देनी होती है। बिना कारण बताए किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार होने के समय से चौबीस घंटे के अन्दर निकटस्थ दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना आवश्यक है। गिरफ्तार हुए व्यक्ति को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी इच्छानुसार किसी वकील से अपनी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में परामर्श कर सके तथा पैरवी करा सके।

भारतीय संविधान में निवारक नजरबन्दी की व्यवस्था की गयी है। राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक, शान्ति, समाज के लिए आवश्यक सेवाओं को बनाए, रखने भारत की सुरक्षा, विदेशी-मामलों आदि के आधार पर निवारक नजरबन्दी की व्यवस्था करने वाले कानून बनाए जा सकते हैं। इन कानूनों के अन्तर्गत यदि सरकार को किसी व्यक्ति पर संदेह है कि वह निकट भविष्य में अपराध कर सकता है तो सरकार उस व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही नजरबन्द कर सकती है। 24 अक्टूबर और 31 दिसम्बर 2001 को राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आतंकवाद विरोधी अध्यादेश में निवारक नजरबन्दी की व्यवस्था की गयी थी। इस अध्यादेश को 26 मार्च 2002 को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में आतंकवाद विरोधी अधिनियम के अधीन निवारक नजरवन्दी की व्यवस्था की गयी थी। लेकिन यू0पी0ए0 के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पोटा (POTA) को निरस्त कर दिया गया।

शोषण के विरूद्ध अधिकार : सदियों से भारत में बेगारी की प्रथा प्रचलित थी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में यह प्रावधान किया ताकि कमजोर वर्ग का शोषण न हो।

संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है, खास तौर पर ऐसे धोखे की शिकार महिला एवं बच्चे जिनका अनैतिक कार्यों में शोषण किया जाता है। चेन्नई में देवदासी कुप्रथा द्वारा बालक बालिकाओं को देवी देवताओं को अर्पित कर दिया जाता था और बाद में चलकर ये बालिकाएँ अनैतिक कार्यों में लगने के फिर बाध्य हो जाती थी। इस कुप्रथा को अधिनियम बनाकर समाप्त कर दिया गया।

हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या बलात् श्रम का निषेध भी करता है। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने भविष्य के किए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जबरन जीवन भर करना पड़ता है तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं।

संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। किसी कारखाने या खदान या रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी चौदह वर्ष के कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकता है। इसे आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। इनमें प्रमुख हैं– बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने, दीया सलाई बनाने, प्रिंटिंग और रंगरोगन जैसे कार्यों में बाल मजदूरी रोकने के कानून आदि।

शिक्षा का अधिकार– 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा भारत में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया है। इसकी व्यवस्था संविधान के भाग तीन में की गयी है जिसमें नागरिकों के मूल अधिकार है। अब 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के आयु के सभी भारतीय बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। 6 वर्ष तक के बच्चों को बाल्यकाल और शिक्षा की देखभाल करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। यदि इस अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो इसे लागू कराने के लिए याचिका दायर की जा सकती है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

ऊपर दिए गए अधिकार व्यर्थ है अगर इन्हें मानने वाला और लागू करनेवाला न हो। सम्भव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई व्यक्ति या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार ही कर रही हो। अगर हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं।

अगर मामला मौलिक अधिकारों का हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों का मौलिक अधिकार लागू कराने के मामलें में निर्देश देने, आदेश या लेख (रिट) जारी करने का अधिकार है जिनका वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं–

बन्दी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय गैरकानूनी ढ़ंग से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने सम्मुख प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। अगर न्यायालय द्वारा उसकी गिरफ्तारी अनुचित तथा गैरकानूनी समझी गयी तो उसे रिहा करने का आदेश भी दे सकती है।

परमादेश द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को अपने उस कर्तव्य को करने के लिए बाध्य कर सकता है जिसे कानूनी रूप से करने के लिए वह बाध्य है। उदाहरण के लिए कोई कारखाने का मालिक किसी मजदूर को बिना कारण हटा देता है या उसका वेतन अथवा भत्ता काट लेता है तो मजदूर के आवेदन पर कारखाने के मालिक के विरूद्ध परमादेश जारी किया जा सकता है।

प्रतिषेध के द्वारा सर्वोच्च या उच्च न्यायालय की ओर से किसी अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा कार्य करने से रोकने के लिए रिट जारी किया जा सकता है जो कानून के विरूद्ध हो या उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो।

उत्प्रेषण के द्वारा उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय से किसी अभियोग संबंधित सारे रिकार्ड अपने पास मंगवा सकता है।

अधिकार-पृच्छा लेख द्वारा न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी नियुक्ति या चुनाव कानून के अनुसार नहीं हुआ हो, उसे सरकारी कार्य करने से रोक सकता है।

इस तरह से हमने देखा कि हमारे देश की न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठा सकती हैं। जनहित याचिका के माध्यम से कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समुह सरकार के किसी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में जा सकता है। ऐसे मामले में जज के नाम पोस्टकार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी मामले उठाए जा सकते हैं। अगर न्यायाधीशों को लगे कि सचमुच इस मामलें में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुँच रही है तो वे मामले को विचार के लिए स्वीकार कर सकते हैं।

© BSTBPC WEB COPY NOT TO BE REPUBLISHED

अधिकारों का बढ़ता दायरा

उपर के अध्याय में हमने मूल अधिकारों की चर्चा की। लेकिन हमें मूल अधिकारों के अलावा और भी बहुत सारे अधिकार एवं कानून संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं, जो सामाजिक, राजनैतिक परिस्थितियों में विकास एवं बदलाव करते है। अधिकारों का दायरा बढ़ता जाता है। लोकतांत्रिक-व्यवस्था में अधिकारों की मांग तेजी से बढ़ती है। वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास से समानान्तर अधिकारों का विकास होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि व्यक्ति के बढ़ते अधिकार इस बात की गवाही देते हैं कि उस समाज में लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हो रही है।

मूल अधिकारों में से बहुत सारे अधिकार निकले हैं, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार मूल अधिकारों का ही विस्तार है।

समय-समय पर अदालती फैसलों जन संघर्षों, संसद द्वारा पारित विधेयकों आदि ने भी अधिकारों का दायरा बढ़ाया है। संविधान में जीवन का अधिकार मिला है। आपातकाल में भी किसी नागरिक को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से जीवन के अधिकार को विस्तार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर लिया।

कई बार नये संविधानों के निर्माण से भी नये नये अधिकार सामने आते हैं जैसे-दक्षिण अफ्रीका में नागरिकों और उनके घरों की तलाशी नही ली जा सकी, उनके फोन टेप नही किए जा सकते, उनके पत्र आदि खोलकर नहीं पढ़े जा सकते।

अधिकारों के उपरोक्त वर्णन के पश्चात् लोकतांत्रिक अधिकार के रूप में निम्न दो अधिकारों से भी परिचित होना आवश्यक है-

१. सम्पति का अधिकार–भारत के मूल संविधान में इस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था। परन्तु संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम; 1978 में इसे मौलिक अधिकारों की सूची से अलग कर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया है।

२. सूचना का अधिकार–लोकतंत्र की भावनाओं के अनुरूप भारत की संसद् के द्वारा विधि निर्माण कर भारत के नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है।

दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दिए गए प्रमुख अधिकार

गरिमा का अधिकार

निजता का अधिकार

श्रम सम्बन्धी समुचित व्यवहार का अधिकार

स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार

समुचित आवास का अधिकार

स्वास्थ्य सुविधाएँ, भोजन पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार

बाल अधिकार

बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार

संस्कृति, आर्थिक और भाषायी समुदायों का अधिकार

सूचना का अधिकार

© BSTBPC WEBCOPY NOT TO BE PUBLISHED

मौलिक कर्त्तव्य

विश्व के बहुत सारे देशों जैसे चीन, जापान, रूस, इटली आदि में अधि कारों के साथ मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख है। भारतीय संविधान में भी बाद में मौलिक कर्तव्यों (86वें संशोधन) को शामिल किया गया यथा–

- संविधान का पालन और इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान
- स्वतंत्रता के लिए किए गए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रोत्साहित करनेवाले आदर्शों का सम्मान तथा पालन करना
- भारत की सम्प्रभुता, एकता, अखंडता का समर्थन और रक्षा करना
- देश की रक्षा एवं आवश्यकता के समय राष्ट्रीय सेवा करना
- धार्मिक, भाषायी, क्षेत्रीय अथवा वर्गीय भिन्नता से उपर उठकर भारत के सभी लोगों में समन्वय तथासंयुक्त भ्रतृत्व की भावना विकसित करना तथा स्त्रियों के गौरव का अपमान करने वाली प्रथाओं का त्याग करना
- संयुक्त सांस्कृतिक तथा समृद्ध विरासत का सम्मान करना और इसको स्थिर रखना
- पर्यावरण और वन्य जीवन की रक्षा करना तथा जीव जन्तुओं के प्रति सहानुभूति रखना
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, अन्वेषण तथा सुधार की भावना का विकास करना
- सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना व्यक्तिगत तथा सामुद्रिक गतिविधियाँ के प्रत्येक क्षेत्र के श्रेष्ठता

प्राप्त करने का यत्न करना ताकि राष्ट्र प्रयत्नों तथा उपलब्धियों के उच्च स्तरों की ओर निरंतर बढ़ता रहे।

- माता पिता द्वारा बच्चों के लिए शिक्षा सम्बन्धी अवसरों की व्यवस्था

चीन में मौलिक कर्तव्य

राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखना

देश के संविधान और कानून का पालन करना

राज्य की गोपनीयता बनाए रखना

सार्वजनिक सम्पति की रक्षा करना

श्रमिक अनुशासन बनाए रखना

सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना

सैनिक सेवा में सम्मिलित होना

© BSTBPC
WEB COPY ,NOT TO BE PUBLISHED

प्रश्नावली

1. निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है

(क) समानता का अधिकार (ख) विदेश में घुमने का अधिकार (ग) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

2. मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है।

(क) राष्ट्रपति (ख) प्रधानमंत्री (ग) सर्वोच्च न्यायालय (घ) सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय

3. किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है।

(क) समता का अधिकार (ख) स्वतंत्रता का अधिकार (ग) सम्पति का अधिकार (घ) जीवन का अधिकार

4. आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार

(क) स्थगित किए जाते हैं (ख) समाप्त किए जाते हैं (ग) इसके बारे में संविधान मौन है (धा) निरर्थक हो जाते हैं।

5. इसमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है

(क) सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता

(ख) सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता

(ग) सरकार बदलने के लिए आन्दोलन शुरू करने की स्वतंत्रता

(घ) संविधान के केन्द्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता

6. भारत का संविधान इनमें से कोन सा अधिकार देता है

(क) काम का अधिकार (ख) निजता का अधिकार

(ग) अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार (घ) पर्याप्त जीविका का अधिकार

7. दोनों में से कौन धार्मिक स्वतंत्रता की सही व्याख्या है।

(क) प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को अपनाकर उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है

(ख) अगर किसी धर्म विशेष के द्वारा कोई शैक्षिक संस्था चलाई जाती है तो उसे आजादी है कि वह किसी अन्य धर्म के माननेवालों का उसमें प्रवेश नहीं दे।

8. निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता सम्बन्धी अधिकार कौन है

(क) हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता

(ख) सरकार के विरूद्ध षडयंत्र करने की स्वतंत्रता

(ग) भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता

(घ) विदेश में घूमने की स्वतंत्रता

9. निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में बताएँ कि वह सही है या गलत

(क) भारत में अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका करती है

(ख) हमें सिर्फ अपने परम्परागत पेशा को चुनने का अधिकार है

(ग) हमें सिर्फ उसी प्रदेश में रहने का अधिकार है जिसमें हमने जन्म लिया है।

(घ) विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोल देने के अधिकार से है

10. अपने राज्य में मानवाधिकार आयोग को एक पत्र लिखें जिसमें हाल में ही घटे एक मानवाधिकार के उल्लंघन का मामला उठाएँ।

11. निम्नलिखित स्थितियों को पढ़ें और प्रत्येक स्थिति के बारे में बताएँ कि उसमें किस मौलिक अधिकार का उपयोग या उल्लंघन हो रहा है और कैसे?

(क) सुनीता दफ्तर में नौकरी के लिए आवेदन देने गयी। वहाँ उसका आवेदन इसलिए अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि वह एक महिला है?

(ख) सरकारी नीतियों की आलोचना करनेवाले एक पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

(ग) उड़ीसा के लोग बिहार में अपनी भाषा एवं संस्कृति के प्रचार के लिए सांस्कृतिक संस्था चलाते हैं।

© BSTBPC WEB COPY NOT TO BE PUBLISHED

12. क्या आप मानते हैं कि नीचे लिखी स्थितियाँ स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंधों की मांग करती है। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दें ।

(क) शहर में दंगों के के समय लोग हथियार सहित जुलूस निकालना चाहते हैं।

(ख) रमेश एवं सुरेश वैसे इलाकों में जाना चाहते हैं जो सैनिक दृष्टि से सुरक्षित है।

13. इस अध्याय में पढ़े विभिन्न अधिकारों को आपस में जोड़ने वाला एक मकड़जाल बनाएँ जैसे आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार तथा पेशा चुनने की स्वतंत्रता का अधिकार आपस में एक दुसरे से जुड़े हैं। इसका एक कारण है कि आने जाने की स्वतंत्रता के चलते व्यक्ति अपने गाँव या शहर के अंदर ही नहीं, दूसरे गाँव, दूसरे शहर और दूसरे राज्य तक जाकर काम कर सकता है। इसी प्रकार इस अधिकार को तीर्थाटन से जोड़ा जा सकता है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने धर्म का अनुसरण करने की आजादी से जुड़ा है। आप इस मकड़जाल को बनाएँ और तीर के निशानों से बताएँ कि कौन से अधिकार आपस में जुड़े हैं। हर तीर के साथ सम्बंध बतानेवाला एक उदाहरण भी दें।

परियोजना कार्य–

आप अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए एक अखबार तैयार करें जिसमें निम्नलिखित चीजों को शामिल करने का प्रयास करें।

(क) अधिकारों के उल्लंघन की हाल फिलहाल की घटनाएँ

(ख) मौलिक अधिकार से जुड़े न्यायालय के फैसले से जुड़े समाचार

(ग) विश्व के अन्य देशों में मानवाधिकार के उल्लंघन से जुड़े समाचार